

विषय: वित्तीय सहायता मरीजों के लिए	पृष्ठ 1 के 33	नीति # NMHC FIN 03.0012 संस्करण: 2.0
शीर्षक: वित्तीय सहायता आदेश	संशोधन: 02/01/2016	प्रभावी तिथि: 09/01/2016 हटाने की तिथि:

क्षेत्र: नीचे इति संस्थाओं के सा-सा उनकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों पर लागू हो है

☒ एनएम - नॉर्थवेस्टन मेमोरियल अस्पताल	☒ एनएम - इलिनोइस अस्पताल
☒ एनएम - नॉर्थवेस्टन मेडिकल ग्रुप	☒ एनएम - सेंट्रियल यूएचए अस्पताल
☒ एनएम - क्षेत्रीय चिकित्सा समूह	☒ एनएम - इलिनोइस अस्पताल
☒ एनएम - ककेशियन अस्पताल	☒ एनएम - इलिनोइस अस्पताल
☒ एनएम - मैररएनजॉय ररहेबिलिटेशन *	☒ एनएम - ककेशियन चिकित्सक समूह
☒ एनएम - मैररएनजॉय मेडिकल ग्रुप *	☒ एनएम - होम हेल्थ एंड धर्मशास्त्र
☒ एनएम - प्रणाली कायथ / एनएमएसी कमथारी	
☐ एनएम - अन्य (नाम लिखें) **देखें "नीति प्रभावित व्यक्त प्रभावित अनुभाग **	

* 1 सितंबर, 2018 तक मैररएनजॉय पुनर्वास और मैररएनजॉय मेडिकल ग्रुप पर लागू हो है

*1 सितंबर, 2020 तक एनएम-हंटले, एनएम-मैकहेनरी और एनएम-इलिनोइस अस्पतालों पर लागू हो है

I. उद्देश्य:

अपवाधित वित्तीय संसाधनों वाले लोगों को वित्तीय सहायता के प्राधान से संबंधित नॉर्थवेस्टन मेमोरियल हेल्थकेयर की नीति को परभावित करना।

II. नीतगत विवरण:

- A. नॉर्थवेस्टन मेमोरियल हेल्थकेयर और उसके सहयोगी (सामूहिक रूप से इसे "एनएमएचसी" के रूप में संदर्भित) एनएमएचसी के समुदाय के सदस्यों की सहायता देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एनएमएचसी सहयोगी कंपनियों में प्राप्ति चिकित्सकीय आवश्यक देखभाल के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, जिनमें बर्बाद किसी सीमा के सरकारी कार्यक्रम के लिए अभीमां, बीमां, अपात्र या अन्य भुगतान करने में असमर्थ हैं। वित्तीय सहायता का आर्टन और प्राप्ति समुदाय की कई जरूरतों, एक अकादमिक चिकित्सा केंद्र के रूप में एनएमएचसी के समर्थन, संसाधनों के आर्टन के लिए इसके वित्तीय प्रोटीकॉल और लागू कानून और तनयमन को ध्यान में रखें। पेशेवाकों के बावजूद, एनएमएचसी इस नीति के हि वित्तीय सहायता के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा करके बर्बाद व्यक्तियों को आपाकालीन चिकित्सा सेवा के देखभाल के बर्बाद, भेदभा के बर्बाद प्रदान करेंगे।

- B. वित्तीय सहायता तनमसलखखि सहहि कई कायषक्रमों (सामूहिक रूप से, "वित्तीय सहायता कायषक्रम" या "कायषक्रम") के माध्यम से उपलब्ध है:

1. बीमा रीं मुति और ररयायी देखभाल (आ सेट पर पररसशष्ट बी)

2. [अबीमाकृति रोगी तनशुल्क और ररयायी देखभाल कार्यक्रम](#)
(पररसशष्ट सीपर आे)
3. [असभक्षमि पात्रि](#) (पररसशष्ट रीमें आे)
4. उप राष्ट्रपति, राजसि चक्र द्वारा अनुमोहदि भविष्य के कार्यक्रम, जजन्हें पररसशष्ट के रूप में शासमल ककया जाए।

III. प्रभावित व्यक्तत:

यह नीति एनएमएचसी प्रबंधन के सभी सिरों और उन संसिओं के कमषचारर्यों पर लां होी है जजून पर सूचीबद्ध हैं [पररसशष्ट ए-2](#) जो समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के सलए संसाधनों के आंटन और प्रांसमकि में शासमल है। यह नीति उन थचककत्सको पर लां नहीं होी है जो एनएमएचसी अस्पल संबद्ध में कमषचारर्यों पर हैं, लेकून जो अन्या एनएमएचसी थचककत्सके संबद्ध दारि तनयोजजि या अनुबंध नहीं हैं। यह नीति प्रत्येक संबद्ध पर एक ससिंर इकाई के रूप में लां होी है और जब कक अन्या यहां प्रदान नहीं ककया जां, प्रत्येक संबद्ध इस नीति की आश्यकताओं को अल से पूरा करे। प्रत्येक संबद्ध में आपांकालीन या अन्य थचककत्सकीय आश्यक देखभाल देने ली ससिंर देखभाल प्रदांओं की एक सूची और इस नीति दारि किर ककए िए है या नहीं, वित्तीय परामशष विभां दारि अल से बनाए रखा जाए और इसे यहां संदभष दारि शासमल ककया जाए [पररसशष्ट जी](#)।

IV. जजम्मेदारर्यों:

- A. एनएमएचसी का वित्तीय परामशष विभां उपचार से पहले या उपचार के दौरान वित्तीय सहायि के सलए आेदन करने लाल आेदकों की सहायि करने के सलए जजम्मेदार है।
- B. एनएमएचसी हैंसलं बबसलं जांच, ग्राहक सेा और स्-पे अनुंी क्षेत्रों सेाए प्रदान ककए जाने के बाद आेदकों की सहायि करे।
- C. विभां और खं चिष में सूचीबद्ध क्षेत्रों सहहि राजसि चक्र प्रभां। एक और चिष। बी. ऊपर वित्तीय सहायि अनुपयों के अनुमोदन और सभी सहायक दसिंेज प्राप्ि करने के सलए जजम्मेदार है।
- D. राजसि चक्र प्रभां रोथियों को चाजष की ई रासश की िणना करने और अनुरोध पर ऐसी िणना को समझाने के सलए आधार विकससि करने के सलए उत्िरदायी है।

V. पररभाषाँ:

पंूजीकृि शब्द अन्या पररभावषि नहीं हैं, इसमें पररभावषि ककए िए हैं [पररसशष्ट ए](#)।

VI. सृिना:

मरीजों, िारंटर, उनके पररारों और एनएमएचसी के वित्तीय सहायि कार्यक्रम के बारे में जांरूक व्यापक समुदाय बनाने के सलए, एनएमएचसी अस्पल के सहयोी इस नीति की अपनी सुविधाओं के सलए आेदकों को सथचि करने और इस नीति को व्यापक रूप से प्रचारर करने के सलए कदम उठाए। विसशष्ट अर्थसूचना उपाय लां कानून के अनुसार हों और इसमें विसशष्ट तनधाषररि की जाए [पररसशष्ट ई](#)।

VII. पात्रता का तनधाथरण:

- A. जब पात्रि तनधाषररि की जांी है: वित्तीय सहायि के सलए आेदक की पात्रि का तनधाषरण यिशोग्र ककया जाना चाहहए। ऐसे मामलों में जहां रोगी आपांकालीन ससिंओं के अलां

अन्य सेवाओं की मांग कर रहा है, जब भी संभव हो, शेड्यूलिंग और/या प्रदान करने से पहले दृढ़ तनत्रय ककया जाएगा।

- B. आदेश की आशयिका: जब कि पात्रा पहले तनधाषरर नहीं की ई है या जब कि कक इस नीति के भीर अन्या प्रदान नहीं ककया जाा, रोी या ारटर को वित्तीय सहायि के सलए एक आदेश पूरा करना होा और सहायक दसिािज प्रदान करना होा है, जो कानून के अनुसार आदेश की वित्तीय जसति के बारे में जानकारी प्रदान करी है (जजसमें लाि, आदेश के पररर के बारे में जानकारी शासमल है) और अन्य जानकारी जो वित्तीय सहायि के सलए पात्रा का तनधाषरण करने में आशयक है। आदेश और अन्य आदेश से संबंधि समय सीमा प्रसुि करने के सलए समय सीमा लाि कानून के अनुसार होी और आि सेट की जाएि पररसशष्ट एक आदेश एनएमएचसी दारा प्रदान ककए िए एक फामष पर उपलब्ध होा और इसलनेइस अस्पल अबीमाकी रोी छुट अथधतनयम और अन्य लाि कानून के प्राधानों के अनुरूप होा। जब कि अन्या यहाँ या पररसशष्ट में प्रदान नहीं ककया जाा है, आदेश केिल उन व्यजतियाँ से सीकार ककए जाएि, जजका वपछले 12 महीनों के दुरान एनएमएचसी के साि पहले से मौजूद संबंध रहा है या आामी तनयुजति या प्रिश। रोी एक
- (1) आदेश पूरा करेंिे जजसे सभी एनएमएचसी सहयोी दारा मान्या दी जाएि।

C. अनुमोदन की लंबाई:

- एक बार मंजूरी समलने के बाद, एनएमएचसी वित्तीय सहायि प्रदान करेिा जब कि कक भुिान के िकजल्पक सी सुरक्षकि नहीं हो जाि। आदेशकों को लाि होने पर भुिान के िकजल्पक सीों को लाि करने और सुरक्षकि करने में सहयोि करने की उम्मीद है।
िदनसार, पात्रा तनधाषरण अिले नामांकन अथध के शुरू होने कि मान्य होा जजससे आदेश बीमा किरैज प्राप्ि कर सका है। पूिषामी होने के बािजूद, तनम्रसलखखि सीमाए लाि होी हैं:
 - आपािकालीन सेवाओं के सलए वित्तीय सहायि आपािकालीन सेवाओं और ककसी भी संबंधि जसिरीकरण देखभाल कि सीसमि हो सकी है;
 - एनएमएचसी अस्पल संबद्ध सेवाओं के सलए वित्तीय सहायि को एक प्रासंथिक आधार पर अनुमोहदि ककया जा सका है और इस िरह की मंजूरी अतिररति कायषक्रम आशयिकाओं और धारा नीि में तनधाषरर स्क्रीतनि प्रकक्रयाओं के अधीन हो सकी है;
 - पात्रा तनधाषरण 12 महीने से अथधक नहीं होा।
- आदेशकों को अपनी वित्तीय जसति में पररिषन के एनएमएचसी को िुरि सलाह देने की आशयिका होी जो पहले से अनुमोहदि अथध के दुरान उनकी पात्रा को प्रभावि कर सका है। अपनी वित्तीय जसति में पररिषन के 30 हदनों के भीर एनएमएचसी को सूचचि करने में आदेश की विफलि आदेश की मुफि या ररयायि देखभाल प्राप्ि करने या भविष्य में वित्तीय सहायि के सलए अहषि प्राप्ि करने की क्षमि को प्रभावि कर सकी है।
- एनएमएचसी की वित्तीय सहायि नीति ससमति योग्या के िकजल्पक िरीकों के आधार पर पात्रा तनधाषरण के समय की अथध तनधाषरर करेिा (धारा सािी देखें। नीचे हदए िए िा) मान्य होे; बशि, हालांकक, समय की लंबाई बारह (12) महीने से अथधक नहीं होी।

4. यह उपचार के दौरान ककसी रोगी की पात्रता समाप्त हो जा रही है और इलाज प्रदाना इस बाधा की पुष्टि कर रहा है कक संक्रमण देखभाल रोगी के सलाह हातनकारक हो रही, रोगी रोगी और/या इलाज प्रदाना एक अपाद का अनुरोध कर सका है जजसका मूल्यांकन मुफ्त देखभाल ससमिति द्वारा ककया जाएगा, एनएमएचसी थचककत्सा तनदेशक या उसके डिजाइनी और उप राष्ट्रपति, राजसं चक्र द्वारा अनुमोदन के अधीन, इस नीति के अनुभागे XV के अनुसार।
- D. योगिया के िकजल्पक िरीके: एनएमएचसी (या उसका एजेंट) अपने विेक से एक पुण्य आदेश के अलावा अन्य साधनों से रोगी या िरटर की वित्तीय सहायता पात्रता का आकलन कर सका है। ऐसे उदाहरणों में, पात्रता तनधाषण में क्रेडिट ररपोहटि एजससयों, सांषजतनक ररकांष या अन्य उद्देश्य और योधचि द्वारा प्रदान की िई जानकारी का उपयोग शासमल हो सका है रोगी या िरटर की कायषक्रम पात्रता का आकलन करने का सटीक साधन।
- E. सूचना पर रोक: यह समीक्षा प्रकक्रया के दौरान ककसी भी समय यह स्पष्ट हो जा रहा है कक आदेशक ने जानबूझकर प्रासथिक जानकारी रोक दी है, झूठी जानकारी प्रदान की है, या िलि जानकारी प्रदान की है, जैसा कक क्रेडिट एजससयों या अन्य उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से प्राप्ति जानकारी से प्रमाखणि है, और आदेशक एनएमएचसी की सांषज के सलाह विसंितियों को हल करने में असमिष है, रोगी आदेशक की वित्तीय सहायता के सलाह अयोग्य घोवषि ककया जा सका है, जजसके पररणामसंरूप ऐसी विसंितियों का समाधान होने िक तनयसमि संग्रह प्रयासों की बहाली हो रही। पंषिामी के बाजिद, एनएमएचसी जानकारी के आधार पर वित्तीय सहायता से इनकार नहीं करेगा कक उसके पास विशास करने का कारण है अवशसनीय या िलि है या देबा के िहि आदेशक से प्राप्ति जानकारी पर या बलपंषिक प्राओं के उपयोग के माध्यम से (ककसी व्यजति को आपांकालीन थचककत्सा शि की देखभाल में देरी या इनकार करना शासमल है जब िक कक व्यजति ने अनुरोध की िई जानकारी प्रदान नहीं की है)।

VIII. योग्यता सेाएं:

- A. एनएमएचसी अस्पताल सहयोगी वित्तीय सहायता प्रदान करेगे केिल थचककत्सकीय आशयक स्रोतों के सलाह जजसके सलाह आदेशक तनदेशक कायषक्रम मानदीों की पूरा करेगा और अन्या आथषक रूप से जजमदेर है।
- B. प्रत्यारोपण और प्रत्यारोपण से संबंधि सेाओं के सलाह वित्तीय सहायता एक अलि प्रकक्रया के अनुसार तनधाषर कर रहे हैं और इस नीति के सलाह एक पररसशष्ट के रूप में शासमल ककया जा सका है।
- C. इस नीति में कुछ भी नहीं NMHC तनयसमि रूप से रोधियों को प्रदान नहीं सेाएं प्रदान करने की आशयका है।

IX. अततरतत कायषक्रम आशयकताओं और स्कीतनंग प्रकक्रयाओं:

कुछ प्रकक्रयाओं के सलाह वित्तीय सहायता अतिररति कायषक्रम आशयकताओं और/या स्कीतनंग प्रकक्रयाओं के अधीन हो सका है। अतिररति स्कीतनंग आशयकताओं रोधियों और थचककत्सकी का सधाच ककया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से, और बबना ककसी सीमा के, ऐसी आशयकताओं और स्कीतनंग प्रकक्रयाओं में तनमसलखखि शासमल हो सका है:

- A. बीमा किरेज की उपलब्धि सहि वित्तीय सहायता के सलाह तनरंरि पात्रता सतनजश्चि करने के सलाह रोगी की िंषमान वित्तीय जसंति की कफर से जाच करना;
- B. रोगी द्वारा बकाया रासश के संबंध में भुंिान विसंि हाससल करना या अन्या भुंिान योजना संावपि करना; या

- C. यह सुनिश्चित करने के लिए चयनित प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना कक उपचार के अन्य विकल्पों के समापन हो गए हैं या यह पहले कोशिश की जा चुकी है, जो सफलता की संभावना, और/या कक देखभाल के बाद संसाधनों को लागू ककया जा चुका है; या
- D. एक उपयुक्ति स्तर या प्रदाना के प्रकार से सेटिंग हासिल करना।

X. तीसरे पक्ष के स्रोतों का कर्तव्य:

- A. वित्तीय सहायता के लिए संचालित शेष राशि पर लागू की जाएगी, सभी तीसरे पक्ष के लाभ/संसाधनों के विधिवत समापन होने के बाद, सहित, लेकिन सीमा में नहीं है, बीमा/आवृत्ति से लाभ (जैसे, संचालित घर आदि दिया, कार्यक्रमों में भाग, या तनयों/विवाह/संचालित प्रतिपत्ति खातों), सरकारी कार्यक्रम (जैसे, थचककत्सा, माडिके या अन्य संचालित राज्य, या संचालित कार्यक्रम), या मुक्तदमबाजी बजटियों से आय और/या तनजी धन। इनमें शामिल प्रयासों (सामूहिक रूप से, "तीसरे पक्ष के वित्तीय सहायता स्रोत")। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले रोगियों और जजने थचककत्सा के रूप से आशयक देखभाल (आपातकालीन संचालित के अलावा) की आवश्यकता होती है, जब भी संचालित माडिके संचालित बीमा वित्तनमय, या अन्य उपलब्ध भविष्य में कार्यक्रमों के लिए पात्रों के लिए जांच की जानी चाहिए और यह पात्र पाया जा चुका है, जो रोगियों को तनधाषरर प्रकृतियों से पहले नामांकन आवश्यकताओं के साथ परीक्षण से सहयोग करना चाहिए और/या संचालित प्रदान की जा रही है। पात्र मरीज जो उपलब्ध माडिके संचालित बीमा एतसचज या अन्य उपलब्ध भविष्य में कार्यक्रमों में दाखल लेने से चक जा चुका है या मना कर चुका है, वित्तीय सहायता के लिए अयोग्य हो सकते हैं। रोगियों माडिके, हल, इश्यास एतसचज, या अन्य उपलब्ध भविष्य में कार्यक्रमों के लिए दाखल करने की आवश्यकता को कम से एक (1) सलखल सूचना दी जानी चाहिए और ऐसा करने में विफलता वित्तीय सहायता के लिए पात्रों को खर में लाना हो सकता है। प्रयास, यह कोई भी आदक माडिके संचालित बीमा एतसचज या अन्य उपलब्ध भविष्य में कार्यक्रमों में दाखल लेने के लिए सहायता करने के लिए प्रलखल ककया जाए।
- B. च एक मरीज की मांग आपातकालीन सेवाओं के अलावा अन्य देखभाल एचएमओ या पोपीओ द्वारा ककया जा चुका है और एनएमएचसी एक इन-नोटकष प्रदाना नहीं है, कफर रोगियों को अपने प्रतिभागी प्रदानाओं से देखभाल करने का तनदश हदया जना चाहिए और वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होना। नोटकष से बाहर की लागू के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

XI. आरोपों पर सीमा:

छूट वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के बीच सभन्न हो सकती है। छूट की िणना इस नीति के विसभन्न पररसश्ट में तनधाषरर की जाएगी। हालाकक सभी वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में, आपातकालीन थचककत्सा शिा या अन्य थचककत्साय आवश्यक देखभाल के लिए देखभाल के लिए NMHC अस्पताल सहयोगी द्वारा चाजष की ई रासश लागू संचालित रीबी स्तर के 600% से कम या बराबर िवषषक घरेलू आय के साथ वित्तीय सहायता कार्यक्रम के लिए पात्र व्यजतियों को प्रदान की जा चुकी है, अमि िर पर ऐसी देखभाल को कक करने वाले बीमा वाले व्यजतियों को बबल की ई रासश से अथक नहीं होना ("रासश आम िर पर बबल छूट")।

XII. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल:

- A. एनएमएचसी नीति के अनुरूप अनुपालन को संबोधित करना आपातकालीन थचककत्सा उपचार और श्रम अथतनयम, एनएमएचसी अस्पताल के सहयोगी बबना ककसी भेदभा के व्यजतियों को आपातकालीन थचककत्सा शिा को देखभाल प्रदान करे, चाहे ि देखभाल के लिए भुविान कर सकि है या वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।
- B. एनएमएचसी अस्पताल के सहयोगी उन कार्यों में शामिल नहीं होंगे जो व्यजतियों को आपातकालीन थचककत्सा जसतियों को देखभाल की मांग करने से होसाहकि करि है, जजने तनम्रसलखल क सीसमि नहीं है:

1. आपािकालीन थचककत्सा शिों के सलए थचककत्सा स्क्रूतनंि या उपचार प्रापि करने से पहले उस आपािकालीन विभाि के रोथियों से भुििान की आश्यकि; या
2. आपािकालीन विभाि में या एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध के अन्य क्षेत्रों में ऋण संग्रह ितिविथधियों की अनुमति देना जहां ऐसी ितिविथधियां आपािकालीन थचककत्सा जसंितियों की देखभाल के बबना प्रािधान में हसंिक्षप कर सकी है।

XIII. िापसी:

वित्तीय सहायि का आेदन सभी खुले शेष रासश यों पर लाू ककया जाएि। ररफंि की समीक्षा एनएमएचसी की फ्री केयर कमेटी द्ारा की जाएि और कानून द्ारा आश्यक के अनुसार प्रदान की जाएि।

XIV. सहयोगी तनधाथरण का समन्यि:

एनएमएचसी सहयोगी पात्रि के पारस्परक तनधाथरण में अपने प्रयासों का समन्यि करेंिे।

XV. अपिाद और अपीि:

एनएमएचसी थचककत्सक और/या थचककत्सक एक रोिी की ओर से वित्तीय सहायि का अनुरोध कर सकि है; हालांकक, रोिी को अनुरोध का समिषन करने के सलए आश्यक जानकारी और दसिािज प्रदान करना होिा। यहद थचककत्सक या रोिी पात्रि या कायषक्रम तनधाथरण से सहमि नहीं है या यहद थचककत्सक या रोिी इस नीति के सलए एक अपिाद का अनुरोध कर रहा है, एक अपील या अपिाद के सलए अनुरोध मूल्यांकन के सलए मुति देखभाल संसमति को ककया जाना चाहहए, उपाध्यक्ष, राजसंिचक द्ारा अनुमोदन के अधीन। यह दृढ़ सकल्प अतिम और बाध्यकारी होिा जब िक कक रोिी या थचककत्सक सहायि के सलए योग्या का प्रदशषन करने िाली महत्पिणष नई या अतिररति जानकारी प्रदान करि है (उदाहरण के सलए, आय में पररिषिन, रोजार की हातन, और अन्य पररजसंितियां जो पूिष समीक्षा को काफी हद िक बदली है)।

XVI. भुगतान न करने के लिए कारथिाई:

के एनएमएचसी क्रेडिट और संग्रह नीति, देय रासश का भुििान न करने के सलए ककए जा सकने िाले कायों का िणषन करि है। आम जनि के सदस्य वित्तीय प्रामुशष विभाि से संपकष कर एनएमएचसी क्रेडिट और संग्रह नीति की मुफ्ि प्रति प्रापि कर सकि है।

XVII. मौजूदा कायथक्रमों के लिए प्रयोज्यता:

इस नीति की प्रभािी तिथि से पहले रोथियों को दी जाने िाली वित्तीय सहायि को कम नहीं ककया जाएि बजल्क केिल पुरस्कार में दशाषई िई ऐसी समयोिथध के माध्यम से। ऐसी वित्तीय सहायि समाप्ि होने पर यह नीति लाू होिी।

XVIII. नीतत अद्यतन कायथक्रम:

इस नीति की समीक्षा की जाएि और हर पांच साल में या आश्यकानुसार आधार पर अद्यिन ककया जाएि।

XIX. ररपोर्टिंग:

एनएमएचसी उपयोगिता सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता कार्यक्रम के बारे में सभी आशयक जानकारी को ररपीटष करेगा।

XX. तनगरानी और गैर-ठोस अपिट:

- A. इस नीति की चल रही तनिरानी के सलए वित्तीय सहायता नीति ससमति जजम्मेदार होगी। यह इसके िहि प्राओं की समीक्षा करेगा कक तथा:
1. रोिी पात्रा का आकलन करने के सलए तनयंत्रण लािू हैं;
 2. वित्तीय सहायता की जसति के सलए पात्र और/या प्राप्ि करने िाले रोथियों के बारे में जानकारी रक और बनाए रखा जािा है;
 3. वित्तीय सहायता के अजस्ति समुदाय और उसके रोथियों को सूथचि ककया जािा है;
 4. प्रािधान जिह में है िाकक आपािकालीन थचकूत्सा शिों के सलए देखभाल की माि से समुदाय के सदस्यों को हिताहहि नहीं; और
 5. वित्तीय सहायता प्राप्ि करने िाले रोथियों के खखलाफ संग्रह कारषाई उथचि रूप से की जािा है।
- B. उप राप्रति, राजसि चक्र इस नीति के सलए िैर-ठोस अपिट कर सका है (उदाहरण के सलए, ििषमान संधीय िरीबी हदशातनदेशों, पिा में पररिषन आहद को प्रतिबबबि करने के सलए)।

XXI. संदभथ:

- A. इसलनोइस अस्पिल अबीमाकृि रोिी छूट अथधतनयम [२१० ILCS 89/]
- B. इसलनोइस फेयर पेशेंट बबसलंि अथधतनयम [२१० ILCS 88/]
- C. आंिररक राजस्ि संहहि धारा 501 (आर)
- D. सामाजजक सुरक्षा अथधतनयम [४२ अमेरकी सी 1395dd]

XXII. पररलशष्ट:

पररसशष्ट ए: पररभाषाएँ

पररसशष्ट ए-1: सधंीय िरीबी हदशातनदेश

पररसशष्ट ए-2: एनएमएचसी सहयोिी

पररसशष्ट बी: बीसमि रोिी मुफ्ि और ररयायि देखभाल

पररसशष्ट सी: अबीसमि रोिी तन: शुल्क और

ररयायि देखभाल पररसशष्ट िी: प्रकजल्पि पात्रा

पररसशष्ट ई: सामान्य अथधसूचना-एनएमएचसी अस्पिल सहयोिी

पररसशष्ट एफ: लाि समय फ्रम और व्यजतिि रोिी अथधसचना
आशयकिाएं-NMHC अस्पिल
सहयोिी

पररसशष्ट जी: प्रदािा सूथचयां

पररसशष्ट एच: लैब परीक्षण वित्तीय सहायता

XXIII. अनुमोदन:

जजमेदार पार्टी: एंडय Scianimanco
उपाध्यक्ष, राजस्व चक्र

समीक्षक: वित्ति ससमति के सदस्य
कर और तनयामक समीक्षा ससमति के सदस्य
वित्तीय सहायता नीति ससमति के सदस्य
उपाध्यक्ष, वित्ति
रिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रशासन
जनरल काउंसल का कार्यालय
कॉर्पोरेट अनुपालन और
अखिा

अनुमोदन पाहटषयां: िीन एम हैररसन
अध्यक्ष और सीईओ
नॉषिस्टनष मेमोररयल हेल्िकेयर
इलेतरांतनक अनुमोदन: 02/11/2016

- - - -
जॉन ओरससनी
रिष्ठ उपाध्यक्ष और सीएफओ
नॉषिस्टनष मेमोररयल हेल्िकेयर
इलेतरांतनक अनुमोदन: 01/29/2016

XXIV. समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 05/01/2011- स्िानीय एनएमएच नीति सेातनिति
संशोधि 12/29/2014 - नीति प्रभािी 2/1/2016 के सलए - Supersedes NMHC 03.0012 v1.0 - 6/1/2011 - मुफि और ररयायि देखभाल
संशोधि: 08/17/2016 - नीति प्रभािी 9/1/2016 के सलए - एनएम-सीीएच, एनएम-िलनोर और एनएम-आरएमजी को शासमल
करने के सलए अपिट ककया िया स्कोप अन्या कोई अन्य सामग्री अपिट नहीं
09/01/2018: अपिटि स्कोप मेहरतस - मेररयनजॉय ररहैबसलटेशन और मेररयनजॉय मेडिकल ग्रुप पर 9/1/2018 िक लािू।
08/11/2020: एनएमएचसी कर और तनयामक समीक्षा ससमति ने एनिल्यू क्षेत्र के अस्पिलों (हंटले, मैकहेनरी और िुिस्टॉक) को
एनएमएचसी वित्तीय सहायता नीति में ले जाने को मंजूरी दी, जो 1 ससंबर, 2020 को प्रभािी होिी

परलशष्ट ए: पररभाषाएँ

सहयोगी: उन संसिाओं द्वारा तनयंत्रि, तनयंत्रण, या NMHC के साि आम तनयंत्रण के िहि। एनएमएचसी सहयोिी जजन पर यह नीति लािू होिी है, सूचीबद्ध हैं [पररसशष्ट ए-2](#)। इस नीति के प्रयोजनों के सलए, "सहयोिी" शब्द में एनएमएचसी सहयोिी शासमल नहीं हैं जो कानूनी रूप से या अन्या इस नीति को अपनाने से प्रतिबंधि हैं।

रालश आम तौर पर बि/रालश आम तौर पर बि छूट: छूट यह सुतनजश्चि करने के सलए आशयक है कक इस पॉसलसी के िहि सहायिा के सलए पात्र व्यजतियों को आम िौर पर उन व्यजतियों को बबल की िई मात्रा से अथधक नहीं है जो इस िरह की देखभाल को किर करि हैं ("आम िौर पर बबल ककए िए रासशयां")। आम िौर पर बबल की िई छूट की रासश की िणना लुक-बैक विथध के आधार पर कानून के अनुसार होिी। प्रत्येक एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध अपनी रासश आम िौर पर बबल छूट की िणना करेिा। प्रत्येक एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध में उपयोगि की जाने िाली विथध का सलखखि वििरण एनएमएचसी वित्तीय परामशष विभाि से संपकष करके प्राप्ि ककया जा सकिा है। थचककत्सक सहयोिी एनएमएच पर लािू रासश आम िौर पर बबल छूट लािू करेिे।

आेदक: एक आेदक रोिी और/या रोिी के िारंटर सहहि वित्तीय सहायिा के सलए एक आेदन जमा करने िाला व्यजति है।

आेदन: एक वित्तीय सहायता आेदन

आेदन अिचध: िह अिथध जजसके दौरान एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध को ककसी व्यजति द्वारा प्रसुिि आेदन को स्ीीकार करना चाहहए और संसाथधि करना चाहहए िाकक यह तनधाषररि करने के सलए उथचि प्रयास ककए जा सके कक व्यजति वित्तीय सहायिा के सलए पात्र है या नहीं। ककसी व्यजति को एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध द्वारा प्रदान की िई ककसी भी देखभाल के संबंध में, आेदन अिथध उस िारीख से शुरू होिी है जब देखभाल व्यजति को प्रदान की जािी है और 240 पर समाप्ि होिी हैth िारीख के बाद हदन NMHC अस्पिल संबद्ध प्रदान करिा है (यानी मेल, इलेतरॉतनक भेजिा है, या हाि से बचािा है) देखभाल के सलए पहले पोस्ट तनिषहन बबसलंि बयान के साि व्यजति।

बि शुल्क (एस): एक सेिा है कक सेिा के समय प्रभाि में NMHC है सहबद्ध मास्टर चाजष अनुसूची पर आधाररि है और यह कक संबद्ध लािार और समान रूप से ककसी भी संविदात्मक भत्िे, छूट, या कटौिी लािू करने से पहले रोथियों चाजष के सलए शुल्क।

िागत की देखभाि छूट: प्रत्येक एनएमएचसी संबद्ध अस्पिल की मेडिकेयर लािि ररपोटष से कुल लािि- से-शुल्क अनुपाि को वित्तीय सहायिा के सलए अहषिा प्राप्ि करने के रूप में पहचाने िए खािों पर शुल्क के सलए िुणा करके िणना की िई रासश के बराबर छूट। पूिषिामी के बािजूद, एनएमसीएच, प्रशासतनक आसानी के सलए, एक लािि-देखभाल छूट सिावपि कर सकिा है जो रोिी के सलए सबसे अथधक लाभप्रद है। लािि-देखभाल छूट आम िौर पर बबल की िई छूट रासश के बराबर या उससे अथधक होिी।

ररयायती देखभाऱि: मुफ्ि देखभाल के अलािा अन्य बबल शुल्कों से कम पर प्रदान की िई देखभाल। छूट में लािि-देखभाल छूट और आम िौर पर बबल छूट की रासश शासमल है।

आपातकािीन चिककत्सा क्सतत: आपािकालीन थचककत्सा जस्िति के रूप में सामाजक सुरक्षा अथधतनयम (४२ अमेररकी सी) की धारा १८६७ में पररभावषि ककया जाएि 1395dd)।

आपातकािीन सेिाएं: आपािकालीन सेिाओं में आपािकालीन थचककत्सा शिों के सलए आपािकालीन विभाि के माध्यम से प्राप्ि सेिाएं, ऐसी सेिाएं शासमल हैं जो कभी न कहें-नो सेिाएं हैं, या उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र द्िारा पहचानी िई अन्य सेिाएं और समय-समय पर इस नीति के पररसशष्ट में तनधाषररि की जािी हैं।

असाधारण संग्रह कारथिई (ओ) ं ECA (s): उन कायों है कक एक NMHC अस्पिल सहबद्ध वित्तीय सहायि कायषक्रम के िहि किर देखभाल के सलए एक बबल का भुििान प्राप्ि करने से संबंधि व्यजति के खखलाफ ले जा सकि हैं। इस िरह के ECAs में आिे पररभावषि कर रहे है एनएमएचसी वित्तीय नीति: क्रेडिट और संग्रह और उदाहरण के माध्यम से, पहले से प्रदान की देखभाल के सलए भुििान की आशयकि है और/

पररार का आकार: आिेदक के सबसे हासलया कर ररटनष पर "फाइसलंि स्टेटस" के िहि सूचीबद्ध व्यजतियों की संख्या। यहद कोई कर ररटनष उपलब्ध नहीं है, िो पररार का आकार आिेदक के घर में रहने िाले व्यजतियों की संख्या होिी। यहद कोई अन्य व्यजति आिेदक को व्यजति के कर ररटनष पर तनभषर के रूप में दािा करि है, िो पररार के आकार में तनभषरि का दािा करने िाले व्यजति के घरेलू सदस्य शासमल हो सकि हैं।

संघीय गरीिी द्शातनदेश (एस): संघीय िरीबी हदशातनदेश 42 यूएससी 9902 (2) के अथधकार के िहि संयुति राज्य अमेररका के स्िास्य और मानि सेिां विभाि द्िारा संघीय रजजस्टर में समय-समय पर अपिट ककए िए। हदशातनदेश, के रूप में संलग्न पररसशष्ट ए-1, संघीय रजजस्टर में नए संघीय िरीबी हदशातनदेश जारी करने के बाद और अमेररका के स्िास्य और मानि सेिा िेबसाइट पर िीस (30) हदनों के भीर सालाना समायोजजि ककया जाएि।

वित्तीय सहायता: विसभन्न कायषक्रमों (सामूहक रूप से, "वित्तीय सहायि कायषक्रम" या "कायषक्रम" के

िहि वित्तीय सहायि के सलए एनएमएचसी के मानदंिों को पूरा करने िाले रोथियों को प्रदान की जाने

िाली मुफ्ि देखभाल या ररयायि देखभाल के कारण रासशयां और सभी या उनकी स्िास्य देखभाल सेिाओं के एक हहस्से के सलए भुििान करने में असमिष हैं। वित्तीय सहायि में बुरा ऋण या असंग्रहणीय शुल्क शासमल नहीं है जो राजस्ि के रूप में दजष ककए िए हैं, लेककन भुििान करने में रोिी की विफलि के कारण बंद सलखा िया है; मेडिकेि या अन्य साधनों के िहि प्रदान की िई देखभाल की लािि-परीक्षण सरकारी कायषक्रमों के िहि या थचककत्सा के िहि और उन कायषक्रमों से प्राप्ि राजस्ि के बीच अंरि; या ककसी भी िीसरे पक्ष के भुििानकिाषओं के साि संविदात्मक समायोजन।

फ्री केयर कमेटी: उस ससमति ने विसशष्ट रोिी मुद्दों पर इस नीति के आिदन के संबंध में प्रश्नों का समाधान करने का आरोप लाया। फ्री केयर कमेटी पॉसलसी में की िई अपीलें और अपिादों की समीक्षा करेिी।

मुफ्त देखभाि: एक सौ प्रतिशि (100%) के बराबर बबल शुल्क से छूट।

वित्तीय सहायता नीतत सलमतत: उस ससमति में एनएमएचसी सहयोिी और एनएमएचसी के प्रतिनतथ शासमल िे, जो इस नीति के संबंध में ससफाररशें करिा है और इस नीति को लािू करने में सहयोिी संिठनों के बीच पररचालन संरेखण सुतनजश्चि करिा है। वित्तीय सहायि ससमति में संचालन, जनरल काउंसल का कायाषलय, आिरिरक लेखा परीक्षा विभाि, कॉर्पोरेट अनुपालन और अखंििा का कायाषलय और विदेश मंत्री शासमल होिे। वित्तीय सहायि ससमति अपनी ितिविधयों की ररपोटष कर ँ तनयामक ससमति को देिी।

गारंी: िह व्यजति जो रोिी को प्रदान की जाने िाली सेिाओं के सलए आथिषक रूप से जजम्मेदार है।

घरेिू आय: आिेदक के घर के कारण आय जनिणना के अमेररकी ब्यूरो द्ारा इसिेमोल पररभाषाओं के आधार पर। घरेलू आय में सभी पूषि कर आय, बेरोजिारी मुआिजा, श्रसमकों का मुआिजा, सामाजजक सुरक्षा, अनुपूरक सुरक्षा आय, सािषजतनक सहायि भुििान, हदगिजों के भुििान, उत्िरजीिी लाभ, पेंशन या सेिातनृजत्ि आय, ब्याज, लाभांश, ककराए, रॉयल्टी, संपदा, रस्ट, शैक्षक सहायि, िुजारा भत्िा, घर के बाहर से सहायि, और अन्य विविध सोि शासमल हैं। िैर नकद लाभ (जैसे सैप और आिास सजबिी) घरेलू आय नहीं माना जािा है। अथधक विशेष रूप से, घरेलू आय आिेदक के सबसे हासलया कर ररटनष पर सूचीबद्ध समायोजजि सकल आय के बराबर है, जो बाल समिषन भुििान को घटाने और कर- मुति ब्याज की मात्रा जोड़ने के सलए समायोजजि होिी है; िैर-कर योग्य पेंशन और िावषषकी भुििान, इरा वििरण, और सामाजजक सुरक्षा; और अन्य आय समायोजजि सकल आय में शासमल नहीं है लेककन आिेदक के सलए उपलब्ध है। हालांकक, यहद आिेदक इंधिि करिा है कक आिेदक के सबसे हासलया कर ररटनष पर सूचीबद्ध समायोजजि सकल आय सही नहीं है (उदाहरण के सलए, आिेदक को अब तनयोजजि नहीं ककया जािा है या एक अलि रासश का भुििान ककया जा रहा है), िो घरेलू आय की िणना अन्य उपलब्ध दस्िािेज (जैसे, भुििान स्टब्स, बेरोजिारी वििरण, आहद) के आधार पर की जाणि), एक बार कफर बाल सहायि भुििान को हटाने और कर-छूट ब्याज को शासमल करने के सलए समायोजजि ककया जाणि; िैर-कर योग्य पेंशन और िावषषकी भुििान, इरा वििरण, और सामाजजक सुरक्षा; और आिेदक के सलए उपलब्ध अन्य आय। घरेलू आय इसमें घर के सभी सदस्यों की आय शासमल है।

इलिनोइस तनिासी: एक इसलनोइस तनिासी एक मरीज है जो इसलनोइस में रहिा है और जो इसलनोइस में अतनजश्चि काल के रहने का इरादा ररखिा है। स्िास्य देखभाल लाभ प्राप्ि करने के एकमात्र उद्देश्य के सलए इसलनोइस में स्िानािरण इसलनोइस अस्पिल अबीमाकृि रोिी छूट अथधतनयम ("HUPDA") के िहि तनिास की आिश्यकिा को पूरा नहीं करिा है। HUPDA की आिश्यकिा है कक अबीमाकृि रोिी इसलनोइस के एक तनिासी हो, लेककन करिा है *नहीं* आिश्यकिा है कक रोिी कानूनी रूप से संयुति राज्य अमेररका में रह रहा है। रोथियों को इसलनोइस तनिास के सबूि प्रदान करने के रूप में HUPDA के िहि के सलए

प्रदान की आशयिका हो सकी है। सिस्य देखभाल लाभ प्राप्ि करने के एकमात्र उदेश्य के सलए इसलनोइस में पुनिषस इस पररभाषा के िहि तनिस की आशयिका को पूरा नहीं करि।

िलमत रोगी: उच्च घटाया सिस्य बीमा योजना, कायषकिष मुआजा, दुघषटना देयि बीमा, या अन्य िृिीय पक्ष देयि सहहि सािषजतनक या तनजी सिस्य बीमा, सिस्य लाभ, या अन्य सिस्य किरिज कायषक्रम के िहि सिस्य बीमा या लाभिी की पॉसलसी के िहि किर ककया जाने िाला रोिी।

चिककत्सकीय रूप से आशयक: ककसी भी पेशेंट या आउट पेशेंट सिस्य देखभाल सेिा, फामाषस्यूहटकल्स या आपूतिष सहहि, रोिी के रूप में एक ही नैदातनक प्रसिति के साि लाभथिषयों के सलए संघीय सामाजक सुरक्षा अथधतनयम के शीषक XVIII के िहि किर ककया। "थचककत्सकीय आशयक" सेिा में तनम्रसलखखि में से कोई भी शासमल नहीं है: (1) िैर थचककत्सा सेिाएँ जैसे सामाजक और व्यािसातयक सेिाएँ; या (2) ऐजच्छक कॉस्मेटिक सजषरी, लेककन चोट, बीमारी या जन्मजाि दोष या विकृति के कारण विरूपण को सही करने के सलए डिजाइन की िई प्लाजस्टक सजषरी नहीं।

कभी नहीं कहते-नहीं: एनएमएचसी के कभी न कहने िाली सेिाओं को समय-समय पर संशोधि ककया जा सकि है।

एनएमएसी अस्पताि सिंद्ध (एस): एनएमएचसी सहयोिी अस्पताल के रूप में लाइसेंस प्राप्ि है। एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध, जजनपर यह नीति लािू होिी है िे पररसशष्ट A-2 में सूचीबद्ध हैं।

एनएमएसी चिककत्सक सिंद्ध (एस): एनएमएचसी सहयोिी एक थचककत्सक आउट पेशेंट सेहटंि में नैदातनक देखभाल प्रदान करि है। एनएमएचसी थचककत्सक संबद्ध, जजनपर यह नीति लािू होिी है िे पररसशष्ट A-2 में सूचीबद्ध हैं।

अतनिसी: एक िैर तनिसी एक रोिी है जो एक इसलनोइस तनिसी नहीं है।

रोगी: व्यजतििि प्राप्ि सेिाएँ।

सादा भाषा सारांश: एक स्पष्ट, संक्षक्षप्ि और आसानी से समझने के सलए सलखखि बयान है कक एक व्यजति को नोट करि है कक एक NMHC अस्पताल सहबद्ध वित्तीय सहायि प्रदान करि है और तनम्रसलखखि जानकारी प्रदान करि है: (i) इस नीति के िहि प्रदान की जाने िाली पात्रि आशयिकाओं और सहायि का संक्षक्षप्ि विरिण; (ii) इस नीति के िहि सहायि के सलए आेदन करने का संक्षक्षप्ि सारांश; (iii) िैबसाइट के पि (या यूआरएल) और भौतिक सिसानों (कमरे की संख्या सहहि) की सीधी सूची जहां इस नीति और वित्तीय सहायि अनुप्रयोिों की एक प्रति प्राप्ि की जा सकी है; (iv) मेल द्ारि वित्तीय सहायि नीति और आेदन की मुफ्ि प्रति कैसे प्राप्ि की जाए, इस संबंध में तनदेश; (v) कायषलयों या विभािों की संपकष जानकारी (टेलीफोन नंबर और भौतिक सिसान, यहद लािू हो) जो आेदन प्रकक्रया के साि सहायि के साि ककसी व्यजति को प्रदान कर सकि हैं; (vi) अनुिादों की उपलब्धि; और (साििीं) एक बयान है कक कोई वित्तीय सहायि पात्र रोिी आम िैर पर बबल रासश से अथधक शुल्क सलया जायि।

शीषक: वित्तीय सहायि पररलशष्ट ए: पररभाषाँ	पृष्ठ 13 के 33	नीति# एनएमएसी किन 03.0012 संस्करण: 2.1
---	-------------------	---

सुि पे पैकेज-मूल्य सेिाए: ं एक ही कीमि के सलए एक साि पेश की जाने िाली कई सेिाँ जो इस िरह से छूटी हैं कक एकल मूल्य सेिाँ के पैकेज िाले सभी व्यजतििि सेिाँ के सलए कीमिों के योि से कम है।

अीलमत रोगी: स्िास्य बीमा पॉसलसी के िहि किर नहीं ककया िया रोिी या जो सािषजतनक या तेनजी सेिास्य बीमा, स्िास्य लाभ, या अन्य स्िास्य किरेज कायषक्रम के िहि लाभािी नहीं है, जजसमें उच्च-कटौिी योग्य स्िास्य बीमा योजना, कायषकिष का मुआजा, दुघषटना बीमा या अन्य िृिीय-पक्ष देया शासमल है।

पररलशष्ट ए:
पररभाषाँ

मालिक: एंड़्यू Scianimanico
शीषथक: उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी ततचः 01/01/2018

अनुमोदन:

एंड़्यू Scianimanico
उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र
अनुमोदन: 01/01/2018

समीक्षा इततहास:
सलखा हुआ: 03/03/2015
सशोधि: 12/29/2017

पररलशष्ट ए-1: संघीय गरीीी दशातनदेश

परिवार आकार	संघीय गरीबी स्तर	138% FPL तक	250% FPL तक	400% FPL तक	600% FPL तक
1	\$15,650	\$21,597	\$39,125	\$62,600	\$93,900
2	\$21,150	\$29,187	\$52,875	\$84,600	\$126,900
3	\$26,650	\$36,777	\$66,625	\$106,600	\$159,900
4	\$32,150	\$44,367	\$80,375	\$128,600	\$192,900
5	\$37,650	\$51,957	\$94,125	\$150,600	\$225,900
6	\$43,150	\$59,547	\$107,875	\$172,600	\$258,900
7	\$48,650	\$67,137	\$121,625	\$194,600	\$291,900
8	\$54,150	\$74,727	\$135,375	\$216,600	\$324,900
+1	\$5,500	\$7,590	\$13,750	\$22,000	\$33,000

संदभ:

42 यूएससी 9902 (2)

पररलशष्ट ए-1:

संघीय िरीबी हदशातनदेश

मालिक:

एंड्रयू Scianimanico

शीषक:

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी ततचर्: 02/18/2021

अनुमोदन:

एंड्रयू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

इलेतरॉतनक अनुमोदन: 02/18/2021

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 03/03/2015

संशोधधि: 04/24/2017

संशोधधि: 02/2018, 01/23/2019, 01/28/2020, 02/09/2021

पररलशष्ट ए-2: एनएमएसी सहयोगी

A. अस्पताि के सहयोगी

1. नॉिषिस्टनष मेमोररयल अस्पिल
2. नॉिषिस्टनष मेडिससन लेक िन अस्पिल
3. नॉिषिस्टनष मेडिससन सेंरल ड्यूपेज अस्पिल
4. नॉिषिस्टनष मेडिससन िलनॉर अस्पिल
5. ककशिकी अस्पिल
6. िैली िेस्ट अस्पिल
7. नॉिषिस्टनष मेडिससन-बेन िॉिषिन सेंटर
8. मैररयनजॉय ररहैबबसलटेशन

B. चिककत्सक सहयोगी

1. नॉिषिस्टनष मेडिकल ग्रुप
2. नॉिषिस्टनष मेडिससन रीजनल मेडिकल ग्रुप
3. ककशिकी थचककत्सक समूह
4. मैररएनजॉय मेडिकल ग्रुप

पररलशष्ट ए-2:
एनएमएचसी सहयोिी

मालिक: एंड्र्यू Scianimanico
शीषथक: उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी तारीख: 09/01/2018

अनुमोदन:

एंड्र्यू Scianimanico
उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र
अनुमोदन तिथि: 09/01/2018

समीक्षा इततहास:
सलखा हुआ: 03/03/2015
संशोधधि: 07/12/2016
संशोधधि: 12/29/2017
संशोधधि: 09/01/2018,
समीक्षधि: 01/29/2019

पररलशष्ट िी: िीलमत रोगी मुफ्त और ररयायती देखभाि

I. मुफ्त और ररयायती देखभाि

एनएमएचसी इसमें प्रदान ककए िए बीसमि रोथियों को मुफ्ि देखभाल के साि-साि ररयायि देखभाल प्रदान करिा है *पररसशष्ट बी*.

II. सेिाओं

- A. ससिय इस पररसशष्ट की धारा II में प्रदान की िई। बी नीचे, बीसमि रोथियों के सलए मुफ्ि देखभाल और ररयायि देखभाल सभी थचककत्सकीय आश्यक सेिाओं के सलए उपलब्ध होिी।
- B. बीसमि रोथियों के सलए मुफ्ि देखभाल और ररयायि देखभाल तनम्रसलखखि सेिाओं के सलए उपलब्ध नहीं होिी:
1. िैर थचककत्सकीय आश्यक सेिाएं;
 2. आउट-ऑफ-नेटिकष सेिाएं;
 3. विशेषिा फामेसी सेिाएं; ससिय इसके कक हेपेटाइहटस-सी एंटीिायरल दिाओं जो एनएमएच में हेपेटाइहटस-सी सकारात्मक दािा अंि प्राप्ि करने के सलए प्रशाससि इस नीति के िहि विचार ककया जा सकिा है, सभी उथचि ऐसी दिाओं के सलए बीमा या अंय प्रतिपूतिष सुरक्षकि करने के प्रयासों के बाद एक समय पर िरीके से समाप्ि हो िया है। ऐसी दिाओं के प्रािधान को नॉिषिस्टनष स्पेशसलटी फामेसी के माध्यम से समजन्ि ककया जाना चाहहए।
 4. एनएमएचसी थचककत्सक सहयोिी कंपतनयों के संबंध में, प्रजनन उपचार (कुछ प्रजनन संरक्षण खचों को छोड़कर); सुधारात्मक दृष्ट प्रकक्रयाओं, सहहि, लेककन सीसमि नहीं है, LASIK; और एक िैर-एनएमएचसी से संबद्ध प्रयोिशाला, हटकाऊ थचककत्सा उपकरण, आंखों का चश्मा, संपकष और हहयररंि एड्स से प्राप्ि प्रयोिशाला सेिाएं;
 5. रोिी सह बीमा या घटाया जब िक आिेदक अंयिा मुफ्ि देखभाल के सलए उत्िीणष;
 6. सह-भुििान;
 7. स्ि-पे पैकेज-मूल्य सेिाएं; और
- C. संक्रमणकालीन प्रयोजनों के सलए तनिषहन पर प्रदान की िई िैर-फामूषलाबद्ध फामाषस्यूहटकल्स लािि-देखभाल छूट के अधीन होिी।

III. रेजींसी आश्यकताएं

- A. बीमा रोीएस जो इसलनोइस तनिसी है और जो थचककत्सकीय आश्यक सेिाओं को प्राप्ि मुफ्ि देखभाल और ररयायि देखभाल के सलए पात्र हैं। पुिषिमी होने के बािजूद, आपािकालीन सेिाएं प्राप्ि करने िाले बीसमि आिेदकों के सलए कोई तनिस की आश्यकि नहीं होिी।
- B. आपािकालीन सेिाओं को प्राप्ि करने िाले बीसमि रोथियों को छोड़कर, बीसमि रोिी जो िैर- तनिसी हैं (जजनमें राज्य के बाहरी स्िनानान्िरण िक सीसमि नहीं हैं) और जो थचककत्सकीय रूप से आश्यक प्राप्ि करि हैं सेिाएं मुफ्ि देखभाल के सलए पात्र नहीं हैं।

IV. मुफ्त और ररयायती देखभा की गणना

एनएमएचसी दो िरीकों के माध्यम से पात्र बीसमि रोथियों को मुफ्ि देखभाल और ररयायि देखभाल प्रदान करि है: "बीसमि कफसलने शुल्क पैमाने पर सहायि" और "बीसमि भयािह सहायि." यहद आिेदक दोनों िरीकों के िहि उत्िीणष होिा है, िो एनएमएचसी उस विथध को लािू करेिा जो आिेदक के सलए सबसे अथधक फायदेमंद है। या िो विथध के िहि यीग्या के बािजूद, अिर िहां का मानना है कक एक आिेदक िो ििषमान संघीय िरीबी आिेदक के पररिर के आकार के सलए लािू हदशातनदेश के ६००% से अथधक रासश में संपजत्ि हो सकी है और है कक थचककत्सा सेिाओं के सलए भुििान करने के सलए उपलब्ध हैं, NMHC आिेदक ऐसी संपजत्ि के बारे में जानकारी प्रदान करने की आश्यकि हो सकी है, और मुत्ति देखभाल ससमति िय करने में उन पररसंपजत्ियों पर विचार कर सकि है कक तया , और ककस हद िक, मुफ्ि देखभाल या ररयायि देखभाल का विसिार करने के सलए।

A. िीलमत सिाइडिंग शुल्क स्केि सहायता

बीसमि स्लाइडिं शुल्क पैमाने के आिेदन के िहि सहायि की िणना इस प्रकार की जािी है:

1. मुफ्ि देखभाल: आिेदक के पररिर के आकार पर लािू िकालीन ििषमान संघीय िरीबी हदशातनदेश के 250% या उससे कम की घरेलू आय िाले बीसमि इसलनोइस तनिसी, 100% छूट के सलए पात्र होिे। छूट सह बीमा और कटौिी के सलए लािू ककया जाणि, साि ही थचककत्सकीय आश्यक सेिाओं बीमा द्िारा किर नहीं ककया।
2. ररयायि देखभाल: थचककत्सकीय आश्यक सेिाओं के सलए जो बीमा द्िारा किर नहीं ककए जािे हैं, 250% से अथधक की घरेलू आय िाले बीमा किाष इसलनोइस तनिससयों और आिेदक के पररिर के आकार पर लािू िकालीन ििषमान संघीय िरीबी हदशातनदेश के 600% से कम या बराबर है, आम िौर पर बबल की िई रासश से समान या उससे अथधक छूट के सलए पात्र होिा।

B. िीमा भयािह सहायता

- घरेलू आय के साि मुफ्ि देखभाल या ररयायि देखभाल के सलए योग्या करने िाले बीसमि रोिी के सलए आिेदक के पररार के आकार पर लाि् िकालीन ििषमान संघीय िरीबी हदशातनदेश के 600% िक 250% से अथधक और ऊपर, कुल भुििान ककसी भी बारह महीने की अिथध के दौरान, आिेदक की घरेलू आय का 25% से अथधक नहीं होिा।
- एनएमएचसी में आिेदक द्ारा एनएमएचसी अस्पिल के सहयोिी और एनएमएचसी थचककत्सक सहयोिी कंपतनयों को बकाया भयािह िणना कुल भुििान में शासमल ककया जाि। यहद शासमल है, समायोजजि कुल भुििान क्रमशः एनएमएचसी अस्पिल सहयोिी कंपतनयों और एनएमएचसी थचककत्सक सहयोिी कंपतनयों के बीच बकाया बकाया रासश के आधार पर आनुपातिक रूप से आिहटि ककया जाि।

परलशष्ट िी:

मुफ्ि और ररयायि देखभाल

मालिक:

एंइयू Scianimanico

शीषक:

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी तारीख: 08/01/2019

अनुमोदन:

एंइयू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

अनुमोदन तिथि: 07/18/2019

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 03/03/2015

संशोधधि: 8/17/2016

Revised: 12/29/2017, 07/18/2019

पररलशष्ट सी: अीलमत रोगी तन:शुल्क और ररयायती देखभा

I. अीलमत मुफ्त और ररयायती देखभा

एनएमएचसी अबीसमि रोथियों को ररयायि देखभाल के साि ही तन: शुल्क देखभाल प्रदान करिा है जैसा कक इस पररसशष्ट सी में प्रदान ककया िया है।

II. सेिाओं

A. इस पररसशष्ट में नीचे खंि II. बी. के ससाय प्रदान, बीसमि मरीजों के सलए तन: शुल्क देखभाल और ररयायि देखभाल सभी थचककत्सकीय आश्यक सेिाओं के सलए उपलब्ध होिी।

B. बीसमि मरीजों के सलए तन: शुल्क देखभाल और ररयायि देखभाल तनम्न सेिाओं के सलए उपलब्ध होिी।

1. एनएमएच विशेषिा फामेसी सेिाएं;

2. एनएमएचसी कफजजसशयन सहबद्धों के संबंध में, प्रजनन उपचार (कुछ प्रजनन संरक्षण खचों को छोड़कर); सुधारात्मक दृष्ट प्रकक्रयाओं, सहहि, लेककन िक सीसमि नहीं, लाससक; और िैर-एनएमएचसी-संबद्ध प्रयोिशाला से प्राप्ि प्रयोिशाला सेिाएं, हटकाऊ थचककत्सा उपकरण और आपूतिष, आंखों के चश्मे, कानटेतट लेंस और हहयररंि एड्स;

III. रेजीिेंसी आश्यकताएं

मुफ्ि देखभाल और ररयायि देखभाल के सलए उपलब्ध हो जाणि उन अबीमाकृि रोथियों को जो इसलनोइस तनिासी हैं। िैर-तनिासी जो अबीमाकृि रोिी हैं, मुफ्ि देखभाल या ररयायि देखभाल के सलए पात्र नहीं हैं। पूिषिामी के बािजूद, आपािकालीन सेिाएं प्राप्ि करने िाले अबीसमि आिेदकों के सलए तनिास की आश्यकिा नहीं होिी।

IV. मुफ्त और ररयायती देखभा की गणना

एनएमसीएच, इसलनोइस अस्पिाल अबीमाकृि रोिी छूट अथधतनयम के अनुसार, अबीमाकृि रोथियों को मुफ्ि देखभाल और ररयायि देखभाल प्रदान करेिा। एनएमएचसी उन योग्य आिेदकों को तन: शुल्क देखभाल और ररयायि देखभाल प्रदान करिा है जो दो विथधयों के माध्यम से अबीसमि हैं: "अबीसमि स्लाइडिंि स्केल सहायिा" और "अबीसमि भयािह सहायिा।" यहद कोई आिेदक दोनों विथधयों के िहि अहषिा प्राप्ि करिा है, िो एनएमएचसी िह विथध लािू करेिा जो आिेदक के सलए सबसे अथधक लाभदायक है। ककसी भी विथध के िहि योग्या के बािजूद, यहद यह मानने का कारण है कक ककसी आिेदक के पास आिेदक के पररिार के आकार के सलए लािू िकालीन संघीय िरीबी िाइलाइन के 600% से अथधक की संपजत्ि हो सकी है और जो थचककत्सा सेिाओं के भुििान के सलए उपलब्ध है, िो एनएमएचसी आिेदक को ऐसी पररसंपजत्ियों के बारे में जानकारी देने के सलए कह सकिा है, और तन: शुल्क देखभाल ससमति उन संपजत्ियों पर विचार कर सकी है कक तन: शुल्क देखभाल या ररयायि देखभाल का विस्िार तया और ककस हद िक

िय ककया जाए।

A. अीलमत सऱिडिंग स्केि

1. मुफ्ि देखभाल: आिेदक के पररिर के आकार के सलँ लािू ित्कालीन संघीय िरीबी हदशातनदेश के 250% या उससे कम के बराबर घरेलू आय िाला आिेदक मुफ्ि देखभाल का पात्र होिा।
2. देखभाल लािि की छूट: 250% से अथधक की घरेलू आय के साि आिेदक और आिेदक के पररिर के आकार के सलँ लािू ित्कालीन संघीय िरीबी िाइलाइन के 600% िक देखभाल लािि छूट के सलँ पात्र होिे।

B. अीलमत भयािह सहायता

1. धारा 4 के अनुसार सहायि के सलँ अहषि प्राप्ि करने िाले आिेदकों के सलँ A.2 ऊपर, कुल भुििान ककसी भी बारह महीने की अिथध के दौरान, रोिी की घरेलू आय का 25% से अथधक नहीं होिा।
2. ँनँमँचसी अस्पिल की संबद्धि और ँनँमँचसी भौतिकी के सहयोथियों के सलँ रोिी द्ारिा बकाया कुल भुििान रासश्यों में ँनँमँचसी शासमल होिी। यहद शासमल है, िो समायोजजि कुल भुििान को क्रमशः ँनँमँचसी अस्पिल के सहयोिी और ँनँमँचसी के थचककत्सक संबद्धों के बीच बकाया रासश के आधार पर आिंहटि ककया जाणि।

V. संदभथ

- A. इसलनोइस फेयर पेशेंट बबसलंि अथधतनयम [२१० ILCS 88/]
- B. इसलनोइस अस्पिल अबीमाकृि रोिी छूट अथधतनयम [२१० ILCS 89/]

परलशष्ट सी:
अबीसमि रोिी छूट

मालिक: ँड्यू Scianimanico
शीषक: उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी तारीख: 09/01/2019

अनुमोदन:

ँड्यू Scianimanico
उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र
अनुमोदन तिथि: 01/01/2018

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 03/03/2015
संशोधधि: 08/17/2016
संशोधधि: 12/29/2017, 08/01/2019

परलशष्टिी: प्रकल्पत पात्रता**I. प्रकल्पत पात्रता**

एक अबीमाकृि रोिी नीचे धारा III और चिुिष की आशयिकाओं और मानदंिों को पूरा करने के सलए, इस के अनुसार मुफ्ि देखभाल के सलए पात्र माना जािा है *परसशष्टिी*। पात्र माने जाने िाले रोथियों को वित्तीय सहायि आेदन पूरा करने की आशयिका नहीं है; बशौ, हालांकक, कक रोथियों को प्रदसशषि करना चाहहए कक िे आशयिकाओं और धाराओं III और चिुिष, नीचे की मानदंिों को पूरा।

II. पररभाषाएं

तनम्रसलखखि पररभाषाएं, जैसा कक इसलनोइस फेयर पेशेंट बबसलंि अथधतनयम द्ारा पररभावषिककया िया है, इस पर लािू होिे हैं *परसशष्टिी*।

- A. "रोिी" का अिष है एनएमएचसी या ककसी भी व्यजति से सेिाएं प्राप्ि करने िाला व्यजति जो एनएमएचसी से प्राप्ि सेिाओं के सलए भुििान का िारंटर है।
- B. "प्रकजल्पि पात्रिा" का अिष है रोिी की ओर से वित्तीय आशयिका का प्रदशषन करने िाले प्रकजल्पि पात्रिा मानदंिों के संदभष में तनधाषररि वित्तीय सहायि के सलए पात्रिा।
- C. "प्रकजल्पि पात्रिा मानदंि" का अिष है वित्तीय आशयिका का प्रदशषन करने के रूप में पहचानी िई श्रेखणयां।
- D. "प्रकजल्पि पात्रिा नीति" का अिष है एक सलखखि दसिािेज जो प्रकजल्पि पात्रिा मानदंिों को तनधाषररि करिा है जजसके द्ारा ककसी रोिी की वित्तीय आशयिका का तनधाषरण और उपयोि एनएमएचसी द्ारा एनएमएचसी द्ारा एनएमसीएच द्ारा आे की जांच के बबना वित्तीय सहायि के सलए पात्र रोिी को समझे। इस *परसशष्टिी* एनएमएचसी प्रकजल्पि पात्रिा नीति का िठन करिा है।

III. रेजीिेंसी आशयकताएं

प्रकजल्पि पात्रिा सभी इसलनोइस तनिससयों पर लािू होिी। प्रकजल्पि पात्रिा िैर-तनिससयों के सलए उपलब्ध नहीं होिी या लािू नहीं होिी।

IV. मापदंि

तनम्रसलखखि प्रकजल्पि पात्रिा मानदंि एनएमएचसी के वित्तीय सहायि कायषक्रम के अनुसार एनएमएचसी की प्रकजल्पि पात्रिा नीति के सलए हदशातनदेश स्िावपि करि हैं। तनम्रसलखखि कायषक्रमों में से एक या उससे अथधक के िहि पात्रिा का प्रदशषन करने िाले एक अबीमाकृि रोिी को मुफ्ि देखभाल के सलए पात्र माना जाणि, और इस िरह की वित्तीय सहायि के सलए अतिररति सहायक दसिािेज प्रदान करने की आशयिका नहीं होिी:

- A. बेघरपन
- B. बबना संपजत्ि के मृिक
- C. रोिी की ओर से कारषिई करने के सलए कोई भी साि मानससक अक्षमि
- D. मेडिकैि पात्रि, लेककन सेिा की िारीख पर या िैर-किर की िई सेिा के सलए नहीं
- E. कम आय िाले व्यजतियों के सलए तनम्रसलखखि सहायि कायषक्रमों में नामांकन ित्कालीन संघीय िरीबी आय हदशातनदेशों के 250% पर या उससे नीचे पात्रि मानदंि रखि हैं:
1. महहलाओं, सशशुओं और बच्चों के पोषण कायषक्रम (WIC)
 2. पूरक पोषण सहायि कायषक्रम (SNAP)
 3. इसलनोइस मुफ्ि दोपहर का भोजन और नाशिा कायषक्रम
 4. कम आय िाले िृह ऊजाष सहायि कायषक्रम (LIHEAP)
 5. एक संिहठि समुदाय आधारि कायषक्रम में नामांकन थचककत्सा देखभाल िक पुहच प्रदान करि है जो सदस्यि के सलए एक मापदंि के रूप में कम आय िाली वित्तीय जसिति का आकलन और दसिािंजों का आकलन करि है
 6. थचककत्सा सेिाओं के सलए अनुदान सहायि प्राप्ि करना
- F. मरीज दारि सेिाओं के प्राप्ि होने के बाद जजिनी जल्दी हो सके रोिी के बबल पर वित्तीय सहायि लािू करने की एनएमएचसी की क्षमि को आशिसि करने के सलए और इस िरह के बबल जारी करने से पहले, रोिी को वित्तीय सहायि आंदन प्रकक्रया के दौरान व्यािहाररक रूप से, अथधमानि: प्रकजल्पि पात्रि और सहायक प्रलेखन के एनएमएचसी को नोहटस प्रदान करना होिा। इस हद िक इस िरह की पात्रि जानकारी रोिी नोहटस के बबना उपलब्ध है, NMHC ऐसी जानकारी का उपयोगि करने के सलए प्रकजल्पि पात्रि लािू होिा। एनएमएचसी उन जसितियों में एनएमएचसी सेिाओं के सलए प्रकजल्पि पात्रि भी लािू करेिा जहां रोिी बबसलंि शुरू होने के बाद नोहटस और सहायक दसिािंज प्रदान करि है।

V. संदभथ

तनष्षक्ष रोिी बबसलंि अथधतनयम [210 ILCS 88/27]

परलशष्ट िी:

प्रकजल्पि पात्रि

मालिक:

शीषथक:

एंड़यू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजसि चक्र

प्रभािी तारीख: 01/01/2018

अनुमोदन:

एंड़यू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजसि चक्र

अनुमोदन तिथि: 01/01/2018

शीषक: वित्तीय सहायि पररलशष्ट िी: प्रकल्पत ELIGIBILITY__	पृष्ठ 23 के 33	नीति # एनएमएिसी किन 03.0012 संस्करण: 2.1
--	-------------------	---

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 12/2013

संशोधधि: 12/2014 - वपछला संस्करण पररसशष्ट ए से एनएमएचसी 03.0012 v 1.0 - 6/1/2011

समीक्षधि: 08/2016

संशोधधि: 12/29/2017

परलक्ष ई: सामान्य अचधसूना-एनएमएसी अस्पता सहयोगी

I. एनएमएसी अस्पता के सहयोगी कंपतनयो के लिए विलक्ष अचधसूना उपाय

रोथियों और िारंटरो और उनके पररारों और एनएमएचसी के वित्तीय सहायि कायषक्रम के बारे में व्यापक समुदाय को जािरूक करने के सलए, एनएमएचसी अस्पताल के सहयोिी इस वित्तीय सहायि नीति, वित्तीय सहायि आेदन, वित्तीय सहायि आेदन प्रकक्रया का विरिण, और इस वित्तीय सहायि नीति का "सादा भाषा सारांश" को व्यापक रूप से प्रचारर करने के सलए कदम उठाएं (सामूहक रूप से इस के प्रयोजनों के सलए परलक्ष ई, "सामग्री") एनएमएचसी द्ारा परोसे जाने िाले समुदाय के भीर। विसलक्ष अथधसूचना उपायों में तनम्रसलखखि शासमल होंे:

- A. एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध िेब साइटों पर और एनएमएचसी िेब साइटों पर सामग्री को व्यापक रूप से उपलब्ध कराएं:
1. सामग्री के पूणष और ििषमान संस्करणों को िेब साइटों पर स्पष्ट रूप से रखा जाणि।
 2. इंटरनेट िक पहुंच िाला कोई भी व्यजति विशेष कंप्यूटर हािषियर या सॉफ्टियर (सॉफ्टियर के अलाा जो ककसी भी शुल्क के भुिान के बबना जनिा के सदस्यों के सलए आसानी से उपलब्ध है) और एनएमएचसी या ककसी भी एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध को शुल्क का भुिान ककए बबना और खािा बनाने या व्यजतिि रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी प्रदान करने के सलए आश्यक होने के बबना सामग्री की हािष कॉपी का उपयोग, िाउनलो, दृश्य और वप्रंट कर सका है।
 3. एनएमएचसी और एनएमएचसी अस्पताल के सहयोिी ककसी भी व्यजति को प्रदान करेि जो उस िेब पेज के प्रत्यक्ष िेब साइट पि या यूआरएल के साि ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करने के सलए पूछा है जजस पर सामग्री पोस्ट की जािी है।
- B. अनुरोध पर और िाक द्ारा और सािषजतनक स्ानों पर, प्रिश या पंजीकरण क्षेत्रों सहहि और एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध के आपािकालीन विभाि में शुल्क के बबना सामग्री की काजि प्रतियां उपलब्ध कराएं।
- C. प्रत्येक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध साइनेज के प्रिश और पंजीकरण क्षेत्रों और आपािकालीन विभािों में स्पष्ट रूप से पोस्ट करें, "आप योग्य रोथियों को अस्पताल द्ारा प्रदान ककए जाने िाले तनयमों और शिों के िहि वित्तीय सहायि के सलए पात्र हो सकि हैं। अथधक जानकारी के सलए संपकष करें [अस्पताल वित्तीय सहायि प्रतितनथध संपकष जानकारी िालें।]" के हस्ाक्षर अंग्रेजी में होिा, और ककसी भी अन्य भाषा में जो 1000 व्यजतियों में से कम या एनएमएचसी अस्पताल सुविधा द्ारा सेा ककए िए समुदाय के 5 प्रतिशि या एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध द्ारा प्रभावि या सामना करने की संभािना िाली आबादी की प्रािसमक भाषा है।

- D. इस नीति के बारे में प्रत्येक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध द्ारा सेिा ककए िए समुदाय के सदस्यों को सूथचि करें और सूथचि करें और नीति और आिदन प्रकक्रया के साि-साि सामग्री की प्रतियों के बारे में अथधक जानकारी कैसे या कहां प्राप्ि करें। अथधसचना एक िरह से योथचि समुदाय के उन सदस्यों को जो सबसे अथधक वित्तीय सहायि की आश्यकि होने की संभािना है िक पहुंचने के सलए िणना की जाएि। "योथचि िणना" एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध द्ारा सेिा ककए िए समुदाय के तनिससयों द्ारा बोली जाने िाली प्रािसमक भाषा (एस) के साि-साि समुदाय और एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध के अन्य िुणों को ध्यान में रखेिी।
- E. इस नीति के बारे में प्रत्येक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध द्ारा सेिा ककए िए समुदाय के सदस्यों को सूथचि करें और सूथचि करें और नीति और आिदन प्रकक्रया के साि-साि सामग्री की प्रतियों के बारे में अथधक जानकारी कैसे या कहां प्राप्ि करें। विशेष रूप से, प्रत्येक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध होिा:
1. सेिन या तनिषहन प्रकक्रया के हहस्से के रूप में इस नीति के सादे भाषा सारांश की एक कािज की प्रति प्रदान करें;
 2. बबसलंि बयानों पर एक विसशष्ट सलखखि नोहटस शासमल करें जो इस नीति के िहि वित्तीय सहायि की उपलब्धि के बारे में प्राप्िकिषओं को सूथचि करिा है और सूथचि करिा है और इसमें एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध कायाषलय या विभाि का टेलीफोन नंबर शासमल है जो इस नीति और आिदन प्रकक्रया और प्रत्यक्ष िेब साइट पि (या यूआरएल) के बारे में जानकारी प्रदान कर सकिा है जहां इस नीति की प्रतियां आिदन, और इस नीति का सादा भाषा सारांश प्राप्ि ककया जा सकिा है; और
 3. विसशष्ट सािषजतनक प्रदशषनों की स्ापना (या अन्य उपायों योथचि रोथियों का ध्यान आकवषषि करने के सलए िणना) है कक सूथचि करें और NMHC अस्पताल सहबद्ध में सािषजतनक स्ानों में इस नीति के बारे में रोथियों को सूथचि, सहहि, एक्यूनिम, आपािकालीन विभाि और प्रिश क्षेत्रों।
- F. सामग्री अंग्रेजी में होिी और ककसी भी अन्य भाषा में अनुिाहदि होिी जो एनएमएचसी अस्पताल सुविधा द्ारा की िई 1000 व्यजतियों या समुदाय के 5 प्रतिशि से कम की प्रािसमक भाषा होिी या एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध द्ारा प्रभावि या सामना होने की संभािना है।
- G. प्रत्येक संबद्ध सियं के अलािा अन्य स्ािस्य देखभाल प्रदािाओं की एक सूची, प्रत्येक संबद्ध पर आपािकालीन या अन्य जरूरी देखभाल प्रदान करना और इस िरह की स्ािस्य देखभाल प्रदािाओं को इस नीति द्ारा किर ककया जािा है या नहीं, वित्तीय परामशष विभाि द्ारा बनाए रखा जाएि और इस के साि संदभष द्ारा शासमल ककया जाएि।

शीषक: वित्तीय सहायि परलशष्ट ई: सूिना	पृष्ठ 26 के 33	नीति # एनएमएिसी किन 03.0012 संस्करण: 2.0
---	-------------------	---

II. संदभथ

- आंिररक राजस्ि संहहि धारा 501 (आर)
- तनषक्ष रोिी बबसलंि अथधतनयम [210 ILCS 88/27]

परलशष्ट ई:

सूचना

मालिक:

एंड़्यू Scianimanico

शीषथक:

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी तारीख: 01/02/2016

अनुमोदन:

एंड़्यू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

अनुमोदन तिथि: 01/02/2016

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 03/03/2015

परलक्ष्य ए: िागू समय सीमाए और व्यक्तगत पट्ट अचधसिना आश्यकताए - NMHC अस्पता के कर्मचारी

I. बिलिंग समय अिध

इसलनोइस फेयर पेशेंट बबसलंि अथधतनयम के अनुसार, रोथियों को डिस्चार्ज के बाद ६० (६०) हदनों के भीरि वित्तीय सहायि के सलए अिदन करने या आउट पेशेंट केयर की रसीद, जो भी लंबा है, और NMHC अबीमाकृि रोथियों को बबल नहीं भेजेिा जब िक कक इस िरह के ६० (६०) हदन की अिधध बीि चुकी है। जबकक एनएमएचसी साठ (60) हदन की अिधध के बाद रोथियों को बबल दे सकिा है, कफर भी, अिदन अिधध के दौरान ककसी भी समय प्राप्ि अिदनों को संसाथधि करेिा।

II. असाधारण संग्रह कारथिाई करने से पहि पात्रता तनधाथररत करने के लिए आश्यक प्रयास

A. सूथचि करने की आश्यकिा

ककसी भी असाधारण संग्रह कारथिाई (ईसीए) लेने से पहले, एनएमएचसी अस्पताल के सहयोिी यह तनधाथररि करने के सलए उथचि प्रयास करेिे कक तया व्यजति इस में तनधाथररि कदम उठाकर वित्तीय सहायि के सलए पात्र है *पररसशष्ट एफ*. विशेष रूप से, ककसी व्यजति को एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध ढिारा प्रदान की िई ककसी भी देखभाल के संबंध में, एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध तनम्रसलखखि कदम उठाएिा:

1. इस में िखणषि वित्तीय सहायि कायषक्रम के बारे में व्यजति को सूथचि करें *पररसशष्ट एफ* देखभाल के सलए भुििान प्राप्ि करने के सलए ककसी भी ECAs शुरू करने से पहले और इस िरह के ECAs शुरू करने से परहेज (एक ECA के अपिद के साि पैरा अनुभाि द्वििीय में िखणषि है। इस के सी *पररसशष्ट एफ*) िारीख से कम से कम 120 हदनों के सलए एनएमएचसी अस्पताल एकफसलएट देखभाल के सलए पहला पोस्ट- डिस्चार्ज बबसलंि स्टेटमेंट प्रदान करिा है। नोट: यहद देखभाल के कई एवपसोि एकबत्रि कर रहे हैं, १२० हदन की अिधध के पहले के बाद से शुरू होिा है देखभाल के सबसे हाल के प्रकरण एकत्रीकरण में शासमल के सलए तनिषहन बबसलंि बयान;
2. अिदन अिधध के दौरान एक अधूरा अिदन प्रसिुि करने िाले व्यजति के मामले में, व्यजति को अिदन को पूरा करने के िरीके के बारे में सूथचि करें और व्यजति को ऐसा करने का उथचि असर दें जैसा कक धारा II में िखणषि है। इस के िी *पररसशष्ट एफ*; और
3. अिदन अिधध के दौरान पूणष अिदन जमा करने िाले व्यजति के मामले में, यह तनधाथररि करें कक तया व्यजति धारा II में िखणषि देखभाल के सलए वित्तीय सहायि के सलए पात्र है। इस के ई *पररसशष्ट एफ*.

B. सामान्य रूप से अथधसूचना

एनएमएचसी अस्पताल के सहयोिी रोथियों और/या िारंटरो को वित्तीय सहायि कार्यक्रम के बारे में आम िौर पर देखभाल के सलए भुििान प्राप्ि करने के सलए पहले एक या एक से अथधक ईसीए (एस) शुरू करने से कम से कम 30 हदनों पहले तनम्रसलखखि चरणों में लेजाकर सूथचि करेंिे:

1. व्यजति को एक सलखखि सूचना प्रदान करें जो इंथिि करिा है कक वित्तीय सहायि पात्र व्यजतियों के सलए उपलब्ध है, ईसीए (एस) की पहचान करिा है कक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध (या अन्य अथधकृि पक्ष) देखभाल के सलए भुििान प्राप्ि करने के सलए शुरू करना चाहिा है, और एक समय सीमा बिाििा है जजसके बाद इस िरह के ईसीए (एस) को शुरू ककया जा सकिा है जो सलखखि नोहटस प्रदान ककए जाने की िारीख के 30 हदनों से पहले नहीं है;
2. ऊपर िखणषि सलखखि नोहटस के साि वित्तीय सहायि कार्यक्रम के एक सादे भाषा सारांश के साि व्यजति प्रदान;
3. वित्तीय सहायि कार्यक्रम के बारे में व्यजति को सूथचि करने के सलए और व्यजति आिेदन प्रकक्रया के साि सहायि कैसे प्राप्ि कर सकिा है, इसके बारे में उथचि प्रयास करें।

C. पूिष देखभाल के सलए िैर भुििान के कारण आस्िथिि या देखभाल से इनकार

ईसीए के मामले में पूिष देखभाल के सलए िैर-भुििान के कारण देखभाल को आस्िथिि या अस्िीकार करना शासमल है, एक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध ईसीए शुरू करने से पहले 30 हदनों से कम वित्तीय सहायि कार्यक्रम के बारे में व्यजति को सूथचि कर सकिा है, बशिे कक एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध तनम्रसलखखि करिा है:

1. अन्या धारा द्वििीय की आशयकिाओं को पूरा करिा है। इस के बी पररसशष्ट एफ लेककन, धारा ॥ में िखणषि नोहटस के बजाय। बी, व्यजति को एक आिेदन और एक सलखखि नोहटस प्रदान करिा है जो यह दशाषिा है कक वित्तीय सहायि पात्र व्यजतियों के सलए उपलब्ध है और समय सीमा बिाििे हुए, यहद कोई हो, जजसके बाद एनएमएचसी अस्पताल संबद्ध अब व्यजति द्िारा प्रस्िुिि आिेदन को स्िीकार और संसाथधि नहीं करेिा (या, यहद लािू हो, पूरा) व्यजति द्िारा पहले प्रदान की िई देखभाल के सलए जारी ककया िया िा। यह समय सीमा उस िारीख के बाद 30 हदनों के बाद की िुलना में पहले नहीं होनी चाहहए कक सलखखि नोहटस प्रदान ककया जािा

है या उस िारीख के २४० हदन बाद जो पहले प्रदान की िई देखभाल के सलए पहले पोस्ट-डिस्चार्ज बबसलंि स्टेटमेंट प्रदान ककया िया िा।

2. यहद व्यजति ऊपर िखणषि समय सीमा पर या उससे पहले पहले प्रदान की िई देखभाल के सलए एक आेदन प्रसुि करिा है (या ककसी भी समय यहद एनएमएचसी अस्पल संबद्ध व्यजति कौ ऐसी कोई समय सीमा प्रदान नहीं करिा िा), िो आेदन को शीघ्र आधार पर संसाधि करिा है।

D. अधूरा आेदन

यहद कोई व्यजति आेदन अिथध के दौरान एक अधूरा आेदन प्रसुि करिा है, िो एनएमएचसी अस्पल सहयोिी:

1. ककसी भी ECAs तनलंबि;
2. व्यजति को उसके आेदन को पूरा करने के सलए तया अतिररति सामग्री की आश्यकिा है की सलखखि सूचना प्रदान करें। इस सलखखि नोहटस में वित्तीय सहायि कायषक्रम का एक सोदा भाषा सारांश और एनएमएचसी अस्पल संबद्ध कायाषलय या विभाि का टेलीफोन नंबर और भौतिक सुान शासमल होिा जो वित्तीय सहायि कायषक्रम और कायाषलय या विभाि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकिा है जो आेदन प्रकक्रया के साि सहायि प्रदान कर सकिा है। व्यजति आेदन अिथध के अंि के बाद या नोहटस की प्राजपुि के िीस (30) हदनों के भीरि अतिररति सामग्री प्रदान करेिा, अपिाद के साि असाधारण पररजसुितियों के सलए ककया जा रहा है।

E. पूणष आेदन

यहद कोई व्यजति आेदन की अिथध के दौरान पूणष आेदन जमा करिा है, िो NMHC

अस्पल सहयोिी यह करेिा:

1. व्यजति के खखलाफ ककसी भी ECAs तनलंबि;
2. इस बाि का दृढ़ तनश्चय करें और दसुिािेज करें कक तया व्यजति वित्तीय सहायि के सलए पात्र है;
3. यहद लािू हो, िो व्यजति को पात्रिा तनधाषरण के सलखखि में सूथचि करें, वित्तीय सहायि जजसके सलए व्यजति पात्र है और दृढ़ संकल्प का आधार; और
4. यहद व्यजति वित्तीय सहायि के सलए पात्र है, िो एनएमएचसी अस्पल सहयोिी:
 - a. व्यजति िि व्यजति (जो फ्री केयर के अलािा अन्य वित्तीय सहायि के सलए पात्र होना तनधाषरि है) एक बबसलंि स्टेटमेंट के साि प्रदान करें जो उस रासश

शीषक: वित्तीय सहायि पररलशष्ट एि: िागू समय फ्रेम	पृष्ठ 30 के 33	नीति # एनएमएिसी किन 03.0012 संस्करण: 2.0
--	-------------------	---

को इंथि करि है जो व्यजति को वित्तीय सहायि के सलए पात्र व्यजति के रूप में बकाया है, िह रासश कैसे तनधाषरर की िई िी और राज्यों, या बिािी है कक व्यजति कैसे प्राप्ि कर सकि है, आम िौर पर देखभाल के सलए बबल की िई रासश के बारे में जानकारी;

b. ककसी भी रासश को िापस (जब िक कक नोहटस या आंिररक राजस्ि बुलेहटन में प्रकासशि अन्य माषिदशषन द्ारा तनधाषरर ककया जािा है कक \$ 5.00 या ऐसी अन्य रासश के िहि) कक व्यजति पहले आेदन में शासमल देखभाल के सलए भूििान ककया जािा है और उस रासश से अथधक है जजसे िह वित्तीय सहायि के सलए पात्र व्यजति के रूप में देना तनधाषरर करि है; और

c. ककसी भी ECAs ररिसष (ऋण की बबक्री के अपिाद के साि)।

F. एनएमएचसी अस्पिाल के सहयोिी इसमें तनधाषरर सभी अथधसूचना आिश्यकिाओं को दस्ििेज करेिे पररसशष्ट एफ.

G. इस पररसशष्ट का कायाषन्ियन 26 सी.एफ.आर. 1.501(r)-6. हद िक यह पररसशष्ट एफ 26 C.F.R. के साि असंिि है 1.501 (आर)- 6 या सीमा िक 26 C.F.R. 1.501 (आर)-6 इस के कायाषन्ियन के बारे में और अथधक विसिार प्रदान करि है पररसशष्ट एफ, 26 C.F.R. 501 (आर) -6 शासन करेिा।

III. संदभथ

- A. आंिररक राजस्ि संहहि धारा 501 (आर)
- B. तनषक्ष रोिी बबसलंि अथधतनयम [210 ILCS 88/27]

पररलशष्ट एि:

उपयुति समय

मालिक:

शीषथक:

एंड्रयू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभािी तारीख: 01/02/2016

अनुमोदन:

एंड्रयू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

अनुमोदन तिथि: 01/01/2018

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 03/03/2015

परलशष्ट जी: प्रदाता सूचियां

I. प्रदाताओं की लिस्टिंग विषय या इस नीति के अधीन नहीं

- A. वित्तीय परामशष विभांि प्रत्येक एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध की ओर से एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध के अलांि ककसी भी प्रदांिओं की सूची बनाए रखें, जो आपांकालीन या अन्य थचककत्सकीय आश्यक देखभाल प्रदान करि है और यह इंथिं करि है कक िं इस नीति के अंिंषि आं है या नहीं है या नहीं।
- B. सूची पर अनुरोध के सलए उपलब्ध हो जाणि एनएमएचसी अस्पिल संबद्ध िंबसाइट। सूची की पेपर कॉपी भी तनशुल्क उपलब्ध होंि वित्तीय परामशष विभांि से।
- C. सूची को कम से कम त्रैमाससक रूप से अपिट ककया जाणि।

II. संदभथ

- A. आंिररक राजस्ि संहहि धारा 501 (आर)
- B. आंिररक राजस्ि नोहटस 2015-46

परलशष्ट जी:
प्रदांि सूचियां

मालिक: एंड़्यू Scianimanico
शीषक: उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र

प्रभांिी तारीख: 09/01/2016

अनुमोदन:

एंड़्यू Scianimanico
उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र
अनुमोदन तिथि: 08/22/2016

समीक्षा इततहास:
सलखा हुआ: 03/03/2015
सशाथधि: 08/17/2016

पररलशष्ट ए: िैि परीक्षण वित्तीय सहायता

I. रोगी प्रयोगशाला वित्तीय सहायता विवरण का परीक्षण

- एनएमएचसी एनएम लैब, एनएमएच विभा और सेंट्रल ज्यूपेज अस्पताल के एक विभा हेल्थिलैब के माध्यम से प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला परीक्षण वित्तीय सहायता थचककत्सके कार्यालयों द्वारा नियमित नमूनों के लिए एनएम लैब और HealthLab की परीक्षण सेवाओं के पररणामस्वरूप रोगी संतुलन तक ही सीमित है और एनएम लैब और HealthLab या एनएम लैब और HealthLab डॉ केंद्रों के माध्यम से प्राप्त नमूनों के लिए भेजा है।
- एनएमएचसी रोगी द्वारा देय शेष राशि पर वित्तीय सहायता के लिए एनएम लैब और हेल्थिलैब रोगियों का आकलन करेगा।
- प्रयोगशाला परीक्षण वित्तीय सहायता सरकारी कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है (मेडिकेयर एंटेज और मेडिके प्रबंधित देखभाल योजनाओं सहित)।
- प्रयोगशाला परीक्षण वित्तीय सहायता अपने संचासल रोगी बयान प्रक्रिया के माध्यम से NMHC रोगी लेखा सेवाओं द्वारा प्रशासित है और संचासल रूप से पात्र रोगी संतुलन के लिए लाइव किया जाएगा।

II. सेवाओं

- अस्पताल और पेशेवर थचककत्सकीय आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण एनएम लैब और HealthLab के माध्यम से प्रदान की।
- वित्तीय सहायता ग्राहक बबल सेवाओं पर लाइव नहीं होती है, जजसे एनएम लैब या हेल्थिलैब बीमा िहका और रोगियों को बबल करने के बजाय सीधे उन सेवाओं के लिए प्रयोगशाला सेवाओं और बबल थचककत्सक प्राओं का प्रदर्शन कर सका है। तलाइट बबल सेवा रोगियों को तलाइट द्वारा बबल किया जा रहा है, एनएम लैब और न ही HealthLab द्वारा।

III. रेजिमेंसी आवश्यकताएं

लैब टेजस्टि फाइनैसशयल अससस्टेंस से जुड़ी कोई रेजिमेंसी जरूरि नहीं हैं।

IV. कैकिेशन िैि परीक्षण वित्तीय सहायता

- एनएमएचसी नब्बे प्रतिशत (90%) 600% एफपीएल से नीचे के रोगियों के लिए भुिान के लिए शेष रोगी संतुलन पर छूट।
- लैब टेजस्टि फाइनैसशयल अससस्टेंस के बाद अन्य छूट लाइव की जा सकी है।

पररलशष्ट ए:

लैब परीक्षण वित्तीय सहायता

मालिक:

शीर्षक:

एंड्यू Scianimanico

उपाध्यक्ष, राजस् चक्र

प्रभाी तारीख: 02/26/2019

शीषक: वित्तीय सहायि पररलशष्ट ँ: िैि परीक्षण वित्तीय सहायता	पृष्ठ 33 के 33	नीति # ँनँमँसि किन 03.0012 संस्करण: 2.0
---	-------------------	---

अनुमोदन:

ँड्रू Scianimanco
उपाध्यक्ष, राजस्ि चक्र
अनुमोदन तिथि: 02/26/2019

समीक्षा इततहास:

सलखा हुआ: 06/03/2017